भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

मासिक कैबिनेट सारांश, जून 2022

1. **महीने के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:**

(क): फ्लैगशिप कार्यक्रमों की प्रगति:

- 1.5 लाख आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के लिए मंजूरी दी गई है। इनमें से 28.06.2022 तक 1,20,112 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों का संचालन किया जा चुका है।

(ख): विधायी और विनियमन उपाय:

- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के चिकित्सा उपकरण नियम (एमडीआर) के तहत संक्रामक स्पोंजीफॉर्म एन्सेफलोपैथी (टीएसई) या बोवाइन स्पोंजीफॉर्म एन्सेफैलोपैथी (बीएसई) प्रमाणपत्र संबंधी चौथी अनुसूची में संशोधन करने के लिए सा.का.नि. 450 (अ) दिनांक 15.06.2022 जारी किया गया।
- चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के प्रावधानों के तहत चिकित्सा उपकरण (दंत चिकित्सा) के वर्गीकरण के संबंध में दिनांक 03.06.2022 की नोटिस जारी की गई।
- चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के प्रावधानों के तहत चिकित्सा उपकरण (प्रसूति और स्त्री रोग) के वर्गीकरण के संबंध में दिनांक 03.06.2022 की नोटिस जारी की गई।

(ग): विविध

- माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार ने 13.06.2022 को गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़े (आईडीसीएफ) का शुभारंभ किया।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न महत्वपूर्ण वर्चुअल/ भौतिकीय बैठकों/ आयोजनों/ संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ वार्ताओं में भाग लिया और इनमें भाग लेने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों/

डॉक्टरों/तकनीकी विशेषज्ञों को अनुमति प्रदान की। जून, 2022 के दौरान जिन महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया गया/ उनका आयोजन किया गया वे इस प्रकार हैं:-

- दिनांक 01 जून, 2022 तुवालू के स्वास्थ्य मंत्री के साथ माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की बैठक आयोजित की गई।
- माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 15-17 जून, 2022 को रूस में 25वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (एसपीआईईएफ) में भाग लिया।
- 30 जून, 2022 को ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री के साथ माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की वर्चुअल आयोजित की गई।

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण अटके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले: शून्य

3. **तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन के लिए मंजूरी' के मामलों की संख्या: शून्य**

4. **ऐसे मामलों का विवरण जिनमें कार्य संव्यवहार नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विपथन हुआ है: शून्य**

5. **चल रहे स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)**

स्वच्छता अभियान के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में किए गए कार्यकलाप:

- सभी परिसरों की नियमित सफाई और सैनिटाइजेशन।
- उपयुक्त स्थानों पर हैंड्स-फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर का उपयोग
- कोविड उपयुक्त व्यवहार उपायों का कार्यान्वयन।
- स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यनीतिगत रूप में प्रदर्शित पोस्टर।
- कमरों को साफ-सुथरा रखने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।

6. **स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति:**

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (एनएएमएस) का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीटीई- जीएचएस) में एकीकरण विचाराधीन है।
- मेडिकल स्टोर्स ऑर्गेनाइजेशन (एमएसओ) का सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी (सीएमएसएस) में विलय करने पर विचार किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में एकीकरण विचाराधीन है।
- वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट (वीपीसीआई) को हटाने पर विचार किया जा रहा है।

7. सुशासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों के बारे में जानकारी: शून्य

8. स्वायत्त निकायों/ पीएसयू सहित मंत्रालय / विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति की स्थिति:

एनआईटीआरडी: राष्ट्रीय क्षयरोग और श्वसन रोग संस्थान

- वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (महामारी विज्ञान)
- विशेषज्ञ ग्रेड -II (थोरैसिक सर्जरी)
- मनोवैज्ञानिक
- चिकित्सा अधिकारी
- सिस्टम विश्लेषक
- उप नर्स अधीक्षक

एनडीटीबीसी: नई दिल्ली क्षयरोग केंद्र

- स्पेशलिस्ट चेस्ट फिजिशियन (ग्रुप क) का एक पद रिक्त है

आईपीसी: भारतीय फार्माकोपिया आयोग

- वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी
- प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी
- वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
- वैज्ञानिक अधिकारी
- व्यवसाय और विपणन विकास अधिकारी
- प्रकाशन और प्रलेखन अधिकारी।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है: शून्य

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश, जुलाई 2022

1. **महीने के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:**

   क. **फ्लैगशिप कार्यक्रमों की प्रगति:**

- 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के लिए अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। इनमें से 29.07.2022 तक 1,20,112 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को प्रचालित किया जा चुका है।

   ख. **विधायी और विनियामक उपाय:**

- चिकित्सा उपकरण नियमावली 2017 के प्रावधान के तहत पुनर्वास से संबंधित चिकित्सा उपकरण के वर्गीकरण के संबंध में दिनांक 06.07.2022 की सूचना जारी की गई ।

   ग. **विविध**

- 27.07.2022 को माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया जिसका विषय "सतत प्रयास, संचालन साझेदारी, परिवार नियोजन में विजन तैयार करना - सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास" था। कार्यक्रम के दौरान, भारत के "एफपी 2030" विजन दस्तावेज का अनावरण किया गया।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न वर्चुअल/भौतिक बैठकों /कार्यक्रमों /सेमिनारों/ सम्मेलनों/ वार्ताओं में भाग लिया, इसमें भाग लेने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों/ डॉक्टरों/ तकनीकी विशेषज्ञों को अनुमति प्रदान की। जुलाई, 2022 के दौरान जिन महत्वपूर्ण बैंठकों में भाग लिया गया/ महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया वे इस प्रकार हैं:-

   (क): 24 जुलाई, 2022 को दक्षिण सूडान के स्वास्थ्य मंत्री के साथ माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की बैठक आयोजित की गई

   (ख): 28 जुलाई, 2022 को उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के साथ माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की बैठक आयोजित की गई।

2. **लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रुके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले: शून्य**

3. **तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन के लिए मंजूरी' के मामलों की संख्या: शून्य**

4. उन मामलों के विवरण जिनमें व्यापार नियमों के संव्यवहार या सरकार की स्थापित नीति विचलन हुआ: शून्य

5. **चल रहे स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)**

स्वच्छता अभियान के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में किए गए कार्यकलाप:

- सभी परिसरों की नियमित सफाई और स्वच्छता।
- उपयुक्त स्थानों पर हैंड्स फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसरों का उपयोग।
- कोविड उपयुक्त व्यवहार उपायों का कार्यान्वयन।
- स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यनीतिगत रूप में पोस्टर प्रदर्शित किए गए।
- कमरों को साफ-सुथरा रखने के सभी प्रयास किए गए हैं।

6. **स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति:**

- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीटीई जीएचएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (एनएएमएस) का एकीकरण। विचाराधीन है।
- मेडिकल स्टोर्स ऑर्गेनाइजेशन (एमएसओ) का सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी (सीएमएसएस) में विलय विचाराधीन है।
- राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के साथ एकीकरण विचाराधीन है।
- वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट (वीपीसीआई) का विघटन विचाराधीन है।

7. **सुशासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों के बारे में जानकारी: शून्य**

8. **स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर पर नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति:**

एनआईटीआरडी: राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान

- वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (महामारी विज्ञान)
- विशेषज्ञ ग्रेड -II (थोरैसिस सर्जरी)
- मनोवैज्ञानिक
- चिकित्सा अधिकारी
- सिस्टम विश्लेषक

एनडीटीबीसी: नई दिल्ली क्षयरोग केंद्र

- स्पेशलिस्ट चेस्ट फिजिशियन (ग्रुप ए) का एक पद रिक्त है

आईपीसी: भारतीय फार्माकोपि आयोग

- वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी
- प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी
- वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
- वैज्ञानिक अधिकारी
- व्यवसाय और विपणन विकास अधिकारी
- प्रकाशन और प्रलेखन अधिकारी।

9. **उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है: शून्य**